

मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-मु0अ0(नि0 एवं गु0नि0) वि0स0-18-05/2025-66 /पटना, दिनांक-14/07/2025

बिहार विधान मंडल का मानसून सत्र दिनांक 21.07.2025 से प्रारम्भ होने जा रहा है। सत्र के दौरान सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं से प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन की मुख्यालय स्तर पर समीक्षा हेतु निम्न पदाधिकारियों को मुख्य अभियंता निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

क्र0 सं0	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	सहायक अभियंता का नाम	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/लिपिक का नाम	अभियुक्ति
1	मुख्य अभियंता- 1, पटना	श्रीमती नायला नायाब, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय	श्री मृगेन्द्र मधुकर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्य अभियंता निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय	
2	मुख्य अभियंता- 2, गया	श्री फैसल रागिब, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता अनुरक्षण एवं उन्नयन का कार्यालय	श्री मनीष कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्य अभियंता निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय	
3	मुख्य अभियंता- 3, भागलपुर	श्रीमती सुनिति स्नेहा, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता अनुरक्षण एवं उन्नयन का कार्यालय	श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह, उच्च वर्गीय लिपिक, मुख्य अभियंता निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय	
4	मुख्य अभियंता- 4, पूर्णियाँ	श्री प्रशांत कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता अनुरक्षण एवं उन्नयन का कार्यालय	श्री संजय कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक, मुख्य अभियंता निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय	
5	मुख्य अभियंता- 5, मुजफ्फरपुर	श्री रोहित कुमार, सहायक अभियंता, अभियंता प्रमुख का कार्यालय	श्री समीउल्लाह, उच्च वर्गीय लिपिक, मुख्य अभियंता निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय	
6	मुख्य अभियंता- 6, दरभंगा	श्री शुभम सिंह, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय	श्री राज कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक, मुख्य अभियंता निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय	

2. उक्त गठित टीम उत्तर प्रतिवेदन की समीक्षा कर मुख्य अभियंता निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण को उपलब्ध करायेंगे।

3. तत्पश्चात मुख्य अभियंता निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण अपने स्तर से उत्तर प्रतिवेदन की समीक्षा कर इसे संबंधित शाखा को प्रेषित करेंगे।

4. पूरे सत्र के दौरान अल्पाहार/भोजन की व्यवस्था लेखा शाखा, मुख्य अभियंता निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय द्वारा किया जायेगा।


5. सत्र अवसान के पश्चात सभी प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।


14/7/25

(मनोज कुमार)  
विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0(नि0 एवं गु0नि0) वि0स0-18-05/2025-3585 दिनांक 14/07/2025  
 प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त -सह-विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख/प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा/सभी मुख्य अभियंता/संयुक्त सचिव/उप सचिव/सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
 विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0(नि0 एवं गु0नि0) वि0स0-18-05/2025-3585 दिनांक 14/07/2025  
 प्रतिलिपि:- सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मी, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
 विशेष सचिव